अध्याय XXVI

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है। कवराती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। 1991 की जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या 51,707 है। यहां की जनसंख्या में 93 प्रतिशत भाग मुसलमानों का है और उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की कोई आबादी नहीं है। जनसंख्या में 26.17 प्रतिशत लोग कामगर हैं। संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता की दर 81.78 प्रतिशत है (पुरूष 90.18 प्रतिशत और महिलाएं 72.89 प्रतिशत), जो काफी ऊंची है।

26.2 इस संघ शासित क्षेत्र में मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नारियल की खेती और मछली उद्योग है। भूमि के 86 प्रतिशत भाग में नारियल के पेड़ों के बागान है।

धनराशियों की प्राप्ति

26.3 चूंकि अधिकतर आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इसलिए उनके विकास के लिए कोई अलग टी.एस.पी. (जनजातीय उप-योजना) तैयार नहीं की जाती। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (1997-2002) के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यव 270.00 करोड़ रूपए का है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के दौरान 140.33 करोड़ रूपया व्यय किया गया था, जो 120.00 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 3.27 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से अधिक था।

सेवा संबंधी सुरक्षण

26.4 भर्ती में आरक्षण के मामले में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है। 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न समूहों के 4378 कर्मचारियों में, 3763 (85.95प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के, 26 (0.6प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के और 589 अन्य (13.45 प्रतिशत) हैं। विभिन्न समूहों के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

जाति संबंधी प्रमाणपत्र

26.5 मुख्य भूमि अर्थात केरल में, स्थानान्तरण पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में एक समस्या है। केरल में जन्में अन्तर्जातीय प्रवासियों के बच्चों को लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन का मत है कि बच्चा इस द्वीप में पैदा नहीं हुआ था। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बड़े स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से आए प्रवासियो को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का उदारीकरण :-

(एल.बी.सी. 16014/1/82-एस.सी.टी.बी.सी.डी.-I, दिनांक 18.11.82)

(एल.बी.सी. 16014/1/82-एस.सी.टी.बी.सी.डी.-I, दिनांक 6.8.82)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को, जो रोजगार, शिक्षा, आदि के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, उस राज्य से जाति/जनजाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, जहां से वे

आप्रवास (माइग्रेट) करके चले गए हों। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया है कि किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का विनिर्दिष्ट प्राधिकरण किसी अन्य राज्य से माइग्रेट करके आए उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दे सकता है, जो अपने माता/पिता के मूल राज्य के विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा उसके माता/पिता को जारी किया गया असली प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दे, सिवाय उस स्थिति के, जहां विनिर्दिष्ट प्राधिकरण का यह विचार हो कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच कराया जाना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र तब भी जारी किया जाएगा, चाहे संबंधित जाति/जनजाति उस राज्य संघ शासित क्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति माइग्रेट करके आया हो, अनुसूचित हो या नहीं। इस सुविधा से किसी एक अथवा अन्य राज्य के मामले में उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के होने की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।

26.6 केरल की राज्य सरकार और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को चाहिए कि वे इस मार्गनिर्देश का व्यापाक रूप से प्रचार करें, ताकि स्थानीय और आप्रवासी जनजातीय लोगों को अपनी बच्चों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। केरल की राज्य सरकार को भी इन मार्गनिर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिएं।

बैंक ऋण की स्कीमें

26.7 सिंडीकेट बैंक लक्षद्वीप के समूचे संघ शासित क्षेत्र में काम करने वाला एकमेव बैंक है। पूरे संघ शासित क्षेत्र में इसकी 9 शाखाएं हैं। 11.4.96 से यह बैंक लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के सारे सरकारी लेनदेनों के भुगतान और लेखाओं का प्रभारी भी है। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने कुल 318 लाख रूपए के अग्रिम दिए हुए हैं।

31.3.1998 को

		(राशि लाख रूपयों में)
1.	कुल अग्रिम	318
2.	कुल जमा	3836
3.	ऋण जमा अनुपात	8.29 %
4.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम	210
5.	कुल अग्रिमों की तुलना में कुल पी.एस.ए. की प्रतिशतता	66.00%
6.	कुल कृषि अग्रिम	53.50%
7.	कुल अग्रिमों की तुलना में कृषि अग्रिमों की प्रतिशतता	16.82%
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	0.84%
9.	कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई.अग्रिमों की प्रतिशतता	0.26%

26.8 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम काफी हैं। लेकिन डी.आर.आई. के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की राशि बहुत कम है। डी.आर.आई. स्कीम के अन्तर्गत इतना कम संवितरण किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऋण की मांग, गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या आदि के संदर्भ में, इस मामले की जांच किए

जाने की जरूरत है। **संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि डी.आर.आई. स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कम ऋण दिए जाने के क्या कारण हैं।**

26.9 लक्षद्वीप विकास निगम को विकास के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा हुआ है। आई.आर.डी.पी. और पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत ऋणकर्त्ताओं को आटो-रिक्शा और पावर फिटर, आदि जैसी परिसम्पत्तियां मुहैया करने में विलम्ब होता है। डी.आर.डी.ए./उद्योग विभाग को मुख्य भूमि से ऋणकर्त्ताओं को परिसम्पत्तियां दिलाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिएं।